20 COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–पन्ना R 700 I-17

अन्नपूर्णा पुत्री श्री भगवत प्रसाद कायस्त निवासी – इटवांखास तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

...... आवेदिका

विरूद्ध

1– किशोर प्रसाद दीक्षित पुत्र श्री बन्दी दीक्षित
2– माया सिंह पति श्री फूलसिंह
3– अनुपम पुत्र श्री फूलसिंह
4– शीतल पुत्र श्री फूलसिंह
5– रामरती पत्नी ग्याप्रसाद ब्राह्मण (मृतक)
निवासीगण – ग्राम इटवांखास तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

श्री अन्नपूर्णा अधि. द्वारा आज दि. 21.2.17 को प्रस्तुत

21-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार तहसील पन्ना जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/अ–6(अ)/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, कलेक्टर जिला पन्ना के पत्र क्रमांक 361/शिकायत/2016 पन्ना दिनांक 02.जुलाई.2016 से किशोर कुमार दीक्षित निवासी ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना जिला पन्ना द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर उल्लेख किया गया है कि ग्राम इटवांखास में सैकड़ो एकड़ भूमि के फर्जी पट्टो की जॉच कर निरस्त किया जावे एवं कब्जे के आधार पर वैद्य कृषकों के पट्टे अमल कराये जाने का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार दैनिक नव स्वदेश सतना में प्रकाशित समाचार पत्र दिनांक 15.06.2016 में प्रकाशित समाचार में इटवांखास की सैकडो एकड़ भूमि को माफियाओं ने ''हथियाया'' खबर प्रकाशित की गयी है उक्त शिकायत पर म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देकर गुण दोषो के आधार पर राजस्व अभिलेखो में की गयी पृविष्टी को को संशोधित करने तथा फर्जी पृविष्टी करने वालो का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्यवाही के निर्देश तहसीलदार पन्ना को दिये गये

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी –700–एक/2017 जिला–पन्ना

अन्नपूर्णा विरूद्ध किशोर प्रसाद दीक्षित आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 98/अ–6(अ)/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/3/19	